

जं. शैलेंद्र शर्मा लखीश

कास. 38/2014

2-3-2021

पत्रावली पेश हुई। वकील की प्रसिद्धि राजत
द्वारा अपना वकालतनामा मप. प्रा. पत्र अन्तर्गत
आदेश 23 नियम 1 उपनियम 3 CPC बाबत
वाद प्रारंभ के प्रस्तुत किया जिस पर वकील
अधिकार की इस्तुआ सुनी गई।

वकील का वाद अन्तर्गत आदेश 23 नियम-1
उपनियम-3 CPC के तहत वाद को पुनः
नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ
स्वीकार किया जाकर इस वाद को खारिज किया
जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद
लकमील दा. दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
जयपुर

